

लिए राजस्थान सरकार को निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई है:-

रा.रा.(मूल)	:
32 करोड़ रु.	
रख-रखाव एवं मरम्मत	:
35.85 करोड़ रु.	

(ख) जी हां, की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

(i) बी ओर टी के तहत शुरू किए गए उदयपुर बाइपास का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है।

(ii) राज्य के लिए निधियों का आबंटन बढ़ा दिया गया है।

(iii) यदि अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं तो निधियां शीघ्रता से जारी की जा रही है।

Development of Jetties/Small Ports

1073. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of jetties / small ports in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any such request from the State Government of Gujarat is pending with Government; and

(d) is so, the details thereof and the likely time by which the request will be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Development of jetties/small ports is the responsibility of the State Governments.

(b) Docs not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

मुम्बई पत्तन न्यास में आरक्षण नियमों का उल्लंघन

1074. श्री मुनव्वर हसन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई पत्तन न्यास में कार्यरत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के

लोगों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी आरक्षण नियमों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में पिछले दो वर्षों से शिकायतें करते आ रहे हैं लेकिन मुम्बई पत्तन न्यास इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार मुम्बई पत्तन न्यास में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनु.जा./अनु.ज.जा. के कुछ कर्मचारियों और मुम्बई पत्तन न्यास की अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.व.वैलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार के संशोधित पत्तन आधारित आरक्षण आदेशों की पत्तन की व्याख्या के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक पत्तन अब तक की गई सभी पदोन्नतियों को अनंतिम समझ रहा है।

(ङ) मुम्बई पत्तन को इस संबंध में संबंधित सरकारी अनुदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

Land for Gangavaram Port

1075. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh has requested to hand over 100 acres of land by the Visakhapatnam Steel Plant for Gangavaram Port; and

(b) if so, the action taken on the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) and (b) Yes, Sir. The Ministry of Steel & Mines have taken a